

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक :- 06 (सू0अधि0) 05/2016 138 (837) ग्रा0वि0, राँची दिनांक- 11.01.16
प्रेषक,

आनन्द गोपाल वर्मा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

speed post

जन सूचना पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातू प्रखण्ड।
राँची।

विषय :- श्री प्रकाश कुमार गुप्ता, रातू, राँची को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभाग में प्राप्त आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक- 08.01.2016


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आवेदन पत्र के संदर्भ में कहना है कि आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना का संबंध रातू प्रखण्ड से है।

अतएव आवेदक का उक्त आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अंतरित करते हुए अनुरोध है कि वांछित सूचना ससमय आवेदक को उपलब्ध कराते हुए उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी देने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



(आनन्द गोपाल वर्मा)

अवर सचिव

-सह-जन सूचना पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 06 (सू0अधि0) 05/2016 138 (837) ग्रा0वि0, राँची, दिनांक- 11.01.16

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, राँची को आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11.01.16

सरकार के अवर सचिव।


-सह-जन सूचना पदाधिकारी।

Speed post

ज्ञापांक :- 06 (सू0अधि0) 05/2016 138 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक- 11.01.16

प्रतिलिपि :- श्री प्रकाश कुमार गुप्ता, ग्राम+पोस्ट- रातू चट्टी, पोस्ट ऑफिस के समीप, जिला-राँची, 835222 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि भविष्य में सूचना प्राप्ति के लिए संबंधित जन सूचना पदाधिकारी से पत्राचार किया जाय।


11.01.16

सरकार के अवर सचिव।

-सह-जन सूचना पदाधिकारी।